

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0 सी0/1372

दिनांक: 07/01/2022

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— जनपद-देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-॥ से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(Online No. FP/UK/ROAD/126632/2021)

सन्दर्भ:—कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक --
1200/FP/UK/ROAD/126632/2021 दिनांक 12-11-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:—

1. प्रस्तावित मार्ग की के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी/ दस्तावेज/ स्पष्टिकरण/ स्पष्ट प्रतिवेदन अपेक्षित है:—
 - (i) प्रस्तावित ग्राम आमवाला-मल्लावाला 'साल' के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
 - (ii) ग्राम को अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क022 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जायें। इससे अधिक चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 - (iii) ग्राम 'पास्ता' से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पास्ता से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।

- (iv) वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के0एम0एल0 फाईल पर अंकित किया जायें।
2. Details filled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.
 3. Blank space plantation scheme of Rs. 6,50,000/- other than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.
 4. Road-side plantation scheme of Rs. 32,86,211/- other than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.
 5. It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha). Logically, the CA stipulated should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be clarified suitably.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।



(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)